संख्या–145/उन्तीस/04/02–(201पे0)/2000

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक 25 जून, 2004

विषय जनपद देहरादून की मसूरी–धोबीघाट पेयजल योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्राक 185/घनावंटन प्रस्ताव/ दिनाक–17–01–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जनपद देहरादून की मसूरी–धोबीघाट पेयजल योजना, के पुनरीक्षित आगणन की अनु0लागत रू0 30642 लाख के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू 27225 लाख (रू0 दो करोड़ बहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एंव वित्तीय अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है तथा चालू कार्यो हेतु अवमुक्त धनराशि से पूर्व मे स्वीकृत समस्त धनराशियों को पूर्ण रूप से समायोजित करते हुए शेष धन व्यय करने की अनुमति भी प्रदान करते है :–

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो , की स्वीकृति नियमानुसार आगणन/मानचित्र पर अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नॉर्म है, स्वीकृत नॉर्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः 2

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्य नजर रखते एव लोक निमार्ण विभाग /विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।

(6) कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए ।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है ,उसी मद पर व्यय किया जाए,एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए ।

(9) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(10) प्रश्नगत कार्य के लिए दी जा रही पुनरीक्षित स्वीकृति के उपरान्त अब आगणन मे किसी भी प्रकार का पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा और कार्य इसी लागत मे पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 467/वित्त अनु0–3/2004 दिनाक 02 जून , 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या–145/उन्तीस/04/02–(201पे0)/2000, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार,, उत्तराचंल देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3–जिलाधिकारी, देहरादून ।
4–मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून ।
5–अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, ,उत्तराचंल पेयजल निगम,देहरादून। को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन मे भेजकर आगणन मे की गयी कटोतियों को नोट करने हेतु निर्देशित करे
6–निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/मा0 पेयजल मंत्री ।
7–वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ट ।
8–निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुवर सिंह)
अपर सचिव